



राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-4) विभाग

क्रमांक : प.1(1)कार्मिक/क-4/ 2026

जयपुर, दिनांक : 21-08-2026

आज्ञा

निम्नांकित राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के स्थानान्तरण / पदस्थापन राज्यहित में एतद्द्वारा तुरन्त प्रभाव से किए जाते हैं:-

क्रसं	अधिकारी का नाम	वर्तमान पद	नवीन पद	टिप्पणी
1	श्रीमती राज लक्ष्मी गहलोत	अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)	अतिरिक्त जिला कलक्टर (भू.अ.), चित्तौड़गढ़	रिक्त पद पर
2	श्री जगत राजेश्वर	शासन उप सचिव, कृषि (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर	उप सचिव, राजस्थान राज्य महिला आयोग, जयपुर	रिक्त पद पर
3	श्री जयपाल सिंह राठौड़	उपायुक्त, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर	उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर	श्री दिव्यांश सिंह (आई.ए.एस.) के स्थान पर
4	श्री कार्तिकेय मीणा	जिला रसद अधिकारी, कोटा	उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा (झालावाड़)	श्री बनवारी लाल बैरवा के स्थान पर
5	सुश्री पूजा मीणा	भूमि अवाप्ति अधिकारी, ईआरसीपी प्रोजेक्ट, जल संसाधन विभाग, अलवर	उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी (झालावाड़)	रिक्त पद पर
6	श्रीमती सुनिता यादव-III	कार्यकारी निदेशक परिवेदना निस्तारण, राजस्थान स्टेट हैल्थ एशोरेंस एजेन्सी, जयपुर	उपखण्ड अधिकारी, नोहर (हनुमानगढ़)	श्री सुशील कुमार सैनी के स्थान पर
7	श्री बनवारी लाल बैरवा	उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा (झालावाड़)	सहायक कलक्टर, भादरा (हनुमानगढ़)	रिक्त पद पर

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17/08/2026 के द्वारा श्री सुशील कुमार सैनी, आर.ए.एस. के सहायक कलक्टर (मुख्यालय), सीकर से उपखण्ड अधिकारी, नोहर (हनुमानगढ़) के पद पर किया गया स्थानान्तरण / पदस्थापन एतद्द्वारा तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

प्रस्तावित नगरीय निकाय एवं पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव के मध्येनगर उपरोक्त सभी अधिकारीगण को उनके वर्तमान पद से कार्यमुक्त करते हुए यह निर्देशित किया जाता है कि वे बिना कार्यग्रहणकाल / अवकाश का उपयोग किये तुरन्त प्रभाव से अपने नवीन पद का कार्यभार ग्रहण कर अपनी कार्यग्रहण रिपोर्ट itcell.dop@rajasthan.gov.in पर तत्काल भेजेंगे। संबंधित विभागाध्यक्ष / जिला कलक्टर को भी निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्तानुसार बिना रिलिवर का इंतजार किये अपने अधीन अधिकारियों को नये पदस्थापन पर कार्यग्रहण हेतु निर्देशित करें। आदेशों की पालना के अभाव में अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी, जिसके लिए अधिकारीगण स्वयं उत्तरदायी होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डॉ. धीरज कुमार सिंह)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
- 2 अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 3 विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, समस्त उप मुख्यमंत्री / मंत्री / राज्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 4 संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- 5 सम्बन्धित अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / सम्भागीय आयुक्त / विशिष्ट शासन सचिव।
- 6 सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
- 7 समस्त सम्बन्धित कण्ट्रोलिंग अधिकारी।

- 8 समस्त सम्बन्धित अधिकारी।
- 9 वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 10 संयुक्त निदेशक, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
- 11 निजी पत्रावली / लेखा पत्रावली / रक्षित पत्रावली।
- 12 कार्मिक (क-4) अनुभाग में सेवा अभिलेख संधारित किये जाने वाले सहायक अनुभागाधिकारी / लिपिक को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश में यदि किसी पद का वार्षिक कार्य मूल्यांकन (ACR) का चैनल निर्धारित नहीं है तो उसकी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।



संयुक्त शासन सचिव

- 1 प्रतिलिपि अन्य सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



संयुक्त शासन सचिव